समापन भाषण

माननीय सदस्यगण,

चतुर्दश बिहार विधान सभा का तृतीय सत्र दिनांक 04 अगस्त, 2006 से प्रारम्भ होकर आज दिनांक 12 अगस्त, 2006 को समाप्त हो रहा है । इस सत्र में कुल छः बैठकें हुई ।

प्रथम दिन माननीय संसदीय कार्य मंत्री, श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह एवं मानव संसाधन विकास विभाग के माननीय मंत्री श्री वृषिण पटेल द्वारा क्रमशः पटना नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश 2006 एवं चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय अध्यादेश 2006 की प्रमाणीकृत प्रतियाँ सभा पटल पर रखी गयी । बिहार विधान सभा में उद्भूत तथा बिहार विधान मंडल के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित तथा राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमत 14 विधेयकों का एक विवरण सभा सचिव द्वारा सभा पटल पर रखा गया । माननीय वित्त मंत्री, श्री सुशील कुमार मोदी द्वारा सदन में प्रस्तुत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरण पर सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

सदन में कतिपय राजकीय विधायकों यथा- (1) बिहार स्थानीय क्षेत्र में उपभोग, व्यवहार अथवा विक्री हेतु मालों के प्रवेश पर कर (संशोधन) विधेयक 2006, (2) बिहार मूल्य वद्धित कर (संशोधन) विधेयक 2006, (3) बिहार विधान मंडल (पदाधिकारी के वेतन एवं भत्ते) विधेयक 2006, (4) बिहार (मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते) विधेयक 2006, (5) बिहार विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) विधेयक 2006, (6) वक्फ (बिहार संशोधन) विधेयक 2006, (7) पटना नगर निगम (संशोधन) विधेयक 2006, (7) भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक 2006, (9) बिहार अराजकीय माध्यमिक (प्रबन्ध एवं नियंत्रण ग्रहण) विधेयक 2006, (10) चाणक्य राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय विधेयक 2006, (11) बिहार कृषि उपज बाजार (निरसन) विधेयक 2006, (12) बिहार पंचायत राज (संशोधन) विधेयक 2006 (13) बिहार (विनियोग संख्या-3) विधेयक 2006 एवं (14) बिहार अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2006 उपस्थापित किया गया एवं सभा द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई ।

बिहार विधान सभा की समिति का प्रतिवेदन सदन पटल पर उपस्थापित किया गया ।

प्रभारी वित्त मंत्री द्वारा बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 की धारा-11 के आलोक में वित्त वर्ष 2006-07 के बजट प्राक्कलन से सम्बन्धित प्राप्ति एवं व्यय के रूझान प्रथम तिमाही के परिणाम की प्रति रखा गया ।

सत्रावधि में सामान्य लोकहित के विषय "राज्य के किसानों की समस्या" एवं "राज्य की बिगड़ती विधि-व्यवस्था" पर विचार-विमर्श हुआ ।

सत्र के दौरान सदन द्वारा एक सरकारी संकल्प स्वीकृत हुआ । सदन में प्राप्त 51 गैर सरकारी संकल्पों में से 43 गैर सरकारी संकल्पों की सूचना पर सदन द्वारा विमर्श हुआ जिसमें से तीन पारित, एक अस्वीकृत, 39 वापस एवं 8 व्यपगत हुये ।

सत्र के दौरान कुल- 868 प्रश्नों की सूचना प्राप्त हुई । उसमें कुल- 692 प्रश्न स्वीकृत हुए जिसमें-43 अल्पसूचित प्रश्न, 425 तारांकित प्रश्न तथा 224 अतारांकित प्रश्न थे । इन स्वीकृत प्रश्नों में से 54 प्रश्न उत्तरित हुए एवं 89 प्रश्नोत्तर सभा पटल पर रखे गये । 12 प्रश्न अपृष्ठ हुए एवं इनमें से 529 प्रश्न अनागत हुए ।

सत्र के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा शून्यकाल के माध्यम से जनहित के अनेक मामले सदन में उठाये गये ।

इस सत्र में कुल-179 निवेदन प्राप्त हुए जिसमें 122 स्वीकृत हुए एवं 57 अमान्य हुए । कुल- 112 याचिकाएँ प्राप्त हुई जिनमें से 96 स्वीकृत एवं 16 अस्वीकृत हुई। ध्यानाकर्षण की कुल सूचनाएँ 156 थी, जिसमें 08 वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुए ।

सत्र संचालन में माननीय मुख्य मंत्री, नेता विरोधी दल एवं अन्य दलीय नेताओं के साथ ही पक्ष प्रतिपक्ष के सभी सदस्यों का मैं आभारी हूँ जिनका भरपूर सहयोग मुझे प्राप्त हुआ । पत्र प्रतिनिधियों, समाचार एजेंसी, प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के रचनात्मक सहयोग के लिए मैं उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ ।

सभा के कार्य संचालन में सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारी, सरकार के पदाधिकारी एवं कर्मचारी तथा आरक्षी बल के जवानों ने जिस तत्परता, लगन और निष्ठा से अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन कुशलतापूर्वक किया इसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं ।

अब सभा की बैठक अनिश्चित काल तक के लिये स्थगित की जाती है ।